राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.7 (261)परि / RTA / STA / मु. / 30852 जयपुर, दिनांक : 24.11.2015

कार्यालय आदेश 37 / 2015

माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2014–15 अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम वाहनों के साथ–साथ निजी वाहनों के संचालन को भी अनुमत किए जाने का निर्णय लिय गया है। उक्त निजी बसों का संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्डों से किया जाना है। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि :

1. निजी वाहनों के संचालन के लिए निगम बस स्टैण्ड पर निजी वाहनों को जारी समय–सारणी एवं वाहनों की संख्या के अनुसार टिकिट बुकिंग धर की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ परमिट के हिसाब से प्रतिमाह तय की जाने वाली दूरी का किराया प्रारम्भिक बिंदु पर भुगतान किया जाएगा। किराए की दर 100 कि.मी. या उसके आगे के लिए निर्धारित की जाएगी एवं प्रत्येक परमिटधारक / वाहन स्वामी द्वारा भुगतान की जाएगी। किराए की गणना माह के दिवसों के अनुसार की जाएगी। माह में कुल संचालित दूरी किमी को 100 के राउंड में किया जाएगा। किराया मार्ग के प्रारंभिक बिंदु वाले निगम के बस स्टैण्ड के मुख्य प्रबंधक को जमा कराया जाएगा। वर्तमान में निगम के बस स्टैण्डों से निजी वाहनों के संचालन का किराया 100 कि.मी. प्रतिदिन प्रतिबस या अधिक का किराया निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

100 कि.मी. प्रतिदिन प्रतिबस	–	50 पैसा प्रति कि.मी.
200 कि.मी. प्रतिदिन प्रतिबस	–	40 पैसा प्रति कि.मी.
300 कि.मी. प्रतिदिन प्रतिबस	–	30 पैसा प्रति कि.मी.

उपरोक्त दरों के अनुसार निम्नानुसार किराया वसूल किया जाएगा :–

क्र. स.	कि.मी.	औसत माह के दिवस	औसत माह के कि.मी.	प्रति कि.मी. प्रतिबस प्रतिदिन किराया दर	औसत माह की प्रति बस प्रतिमाह किराया राशि
1	100 कि.मी.	30 दिवस	3000 कि.मी.	50 पैसा	1500 रू.
2	200 कि.मी.	30 दिवस	6000 कि.मी.	40 पैसा	2400 रू
3	300 कि.मी.	30 दिवस	9000 कि.मी.	30 पैसा	2700 रू
4	300 कि.मी. एवं अधिक प्रतिदिन प्रतिबस 30 पैसे प्रति कि.मी. की दर से देय होगा।				

2. निजी वाहन संचालकों की बसों का क्रू स्टाफ वाहन के निर्धारित प्रस्थान समय से 20 मिनट पूर्व ही अपनी निर्धारित ड्यूटी / कार्यस्थल पर रिपोर्ट करेंगें।
3. बस के अंतिम ठहराव स्थान पर वाहन को खड़ा करने एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी वाहन संचालक की स्वयं की होगी।
4. प्रत्येक निजी वाहन स्वामी द्वारा निगम को प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली राशि की गणना के लिए प्रत्येक वाहन का पंजीयन क्रमांक, परमिट के अनुसार प्रतिदिन तय की जाने वाली दूरी एवं प्रतिदिन एकल फेरे की सूचना संबंधित मुख्य प्रबंधक को लिखित में अग्रिम उपलब्ध करानी होगी।

जिसके आधार पर पूर्ण माह की राशि संबंधित मुख्य प्रबंधक को अग्रिम जमा करानी होगी। किन्ही अपरिहार्य कारणों से वाहन का संचालन संबंधित बस स्टैण्ड से लगातार 7 दिवस या अधिक की अवधि के लिए नहीं होने की स्थिति में असंचालन दिवसों की राशि का रिफण्ड/समायोजन किया जा सकेगा।

5. बस स्टैण्ड पर समस्त व्यवस्थाऐं राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के अधीन बस स्टैण्ड आने तक संबंधित मुख्य प्रबंधक के नियंत्रण में रहेगी।
6. निजी बसों के बस स्टैण्ड तक आने एवं जाने हेतु समुचित व्यवस्था राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा की जावेगी एवं निजी वाहनों के लिए प्रत्येक प्लेटफार्म पर एक–एक कियोस्क की पृथक से व्यवस्था की जावेगी।
7. निजी बस संचालकों को बस पोर्ट स्टैण्ड से वाहन संचालन करने से पूर्व वाहन पर कार्यरत चालक/परिचालक की आई.डी. की प्रति संबंधित मुख्य प्रबंधक के पास जमा करानी होगी।
8. बस स्टैण्ड के बूथ पर निजी वाहनों के टिकिट जारी करने एवं वाहन खड़ी करने हेतु समय निजी वाहनों को जारी समय सारणी के अनुसार दिया जाएगा।
9. बस स्टैण्ड पर वाहनों के आवागमन के दौरान आगार/सीबीएस पर रिकार्ड संधारित किया जाएगा, जिसमें संबंधित वाहन के चालक/परिचालक द्वारा इन्द्राज करवाया जाएगा।
10. ऑन लाईन बुकिंग करने पर भी निजी वाहन स्वामी को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को बस स्टैण्ड का किराया देना होगा।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

क्रमांक :– प.7 (261)परि/RTA/STA/मु./30853-860 जयपुर, दिनांक : 24.11.2015

प्रतिलिपि :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री।
3. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
5. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (जोन) ....।
6. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ....।
7. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्राग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

E:\Komal Prajapat\Others